118

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1413–दो/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–5–2017– पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर, जिला अशोाकनगर – प्रकरण क्रमांक 01 अ–68/2016–17

1– लाखन सिंह पुत्र कल्याण सिंह
2– कृष्णभान पुत्र लाखन सिंह
ग्राम पठारी तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री आर.पी.पालीवाल)

आ दे श

(आज दिनांक 9 - 3 -2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 01 अ–68/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 17–5–2017 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी हलका नंबर 36 ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आवेदकगण ने ग्राम पठारी की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 194 रकबा 0.042 हैक्टर पर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी रिपोर्ट पर से नायव तहसीलदार वृत्त राजपुर तहसील अशोाकनगर ने प्रकरण पॅजीबद्व किया तथा आवेदकगण को सुनवाई के लिये आहुत किया। आवेदकगण ने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर बचाव प्रस्तुत किया। आवेदकगण व्दारा नायव तहसीलदार के समक्ष

व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके कम में नायव तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 12-7-16 से प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर की ओर सिविल जेल की कार्यवाही प्रस्तावित कर अग्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 01 अ-68/ 2016-17 पॅजीबद्व करके आवेदकगण को बचाव प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये आदेश दिनांक 17-5-17 पारित किया तथा आवेदकगण का शासकीय भूमि पर अतिकमण करना प्रमाणित पाने के आधार पर एंव कब्जा न छोड़ने से गिरफतारी वारन्ट जारी करना आदेशित किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभ पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के प्रकरण कमांक 01 अ-68/2016-17 में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि पटवारी व्दारा अतिकमण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आवेदकगण के विरूद्व नायव तहसीलदार ने प्रकरण पॅजीबद्व कर सुनवाई का अवसर देने हेतु आहुत किया है जिसमें आवेदकगण की ओर से अभिभाषक ने उपस्थित होकर बचाव प्रस्तुत किया है। नायव तहसीलदार ने जॉच में अतिकमण किया जाना प्रमाणित पाया तथा अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर की ओर प्रतिवेदन दिनांक 12-7-16 प्रस्तुत कर इस प्रकार प्रतिवेदित किया है :-

" मान0 द्वित्तीय अपर जिला न्यायाधीश अशोकनगर के प्र0क0 7/2015 में पारित आदेश दिनांक 10-12-15 की प्रति भी प्रस्तुत की है जिसमें सर्वे कमांक 198 रकबा 0.031 है. में रास्ता पर अतिकमण न करने व कोई निर्माण कार्य न करने का स्थगन आदेश दिया था, परन्तु कल्याण सिंह उस उसके पुत्रों व्दारा स्थगन आदेश का उल्लॅघन करते हुये उक्त रास्ता पर टीन शैड डालकर - टपरा बना दिये गये हैं तथा तार फेंसिग कर पूर्ण रूप से रास्ता बंद कर दिया गया है। अतः स्थगन आदेश के उल्लॅघन करने से अनावेदक कल्याण सिंह के विरूद्व सिविल जेल की कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर प्रकरण सिविल जेल की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर की ओर भेजा जावे। "

अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण प्राप्ति उपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 19-12-16 से आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये सूचना पत्र जारी किया है जिस पर आवेदकगण के अभिभाषक ने उपस्थित होकर बचाव प्रस्तुत किया है एंव अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेशी 24-12-16,

28-12-16,10.1.17 ,25-1-17, 9-2-17, 22-2-17, 21-3-17, 11-4-17, 27-5-17 तक आवेदकगण को निरन्तर लेखी / मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला है परन्तु आवेदकगण व्दारा पर्याप्त अवसर मिलने एंव समय रहते सार्वजनिक उपयोग के रास्ते की भूमि पर से अतिक्रमण नहीं हटाया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 01 अ-68/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 17-5-2017 से आवेदकगण के विरूद्व सिविल जेल की कार्यवाही की है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर व्दारा प्र0क0 01 अ-68/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 17-5-2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर